~~मुख्य~~ भारत का चुनाव आयोग :- भारतीय संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने एक ऐसे व्यापक संविधान का निर्माण किया जिसमें सरकार के अंगों का विस्तृत वर्णन किया गया तथा अनेक प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना भी की गयी। संविधान के अनु. 324 के अन्तर्गत भारत में चुनाव आयोग का प्रावधान है और इसी के द्वारा संविधान में संसद को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह समय-2 पर ऐसे प्रावधानों का निर्माण करें जिसके द्वारा चुनाव आयोग भारत में चुनाव संपन्न करा सके। संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को स्वतंत्र एवं स्वायत्त बनाने के लिए प्रावधान किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से ठीक प्रकार हटाया जायेगा जैसे SC, HC के न्यायधीशों को अपने पद से हटाया जाता है। और उनके पद ग्रहण करने के दौरान उसकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह सांविधानिक प्रावधान है।

Scanned with CamScanner

चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के बाद चौथी महत्वपूर्ण संस्था है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की लोकतांत्रिक इच्छाओं को विधि सम्मत बनाने के लिए चुनाव आयोग की महत्वपू भूमिका है। अतः चुनाव आयोग के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को संस्थागत कियो जाता है जिससे लोकतंत्र का प्रकार्य आसान हो सके। समकालीन गठबंधन सरकारों के युग में चुनाव आयोग की भूमिका में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुयी है। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अधिकांश दल, जाति, धर्म, क्षेत्र जैसे संकीर्ण मुद्दों के आधार पर लोकतंत्र में विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। अतः व्यक्तियों और दलों को नियंत्रित करने में चुनाव आयोग की भूमिका निर्णायक है।

चुनाव आयोग का प्रकार्य :- भारत में EC का मुख्य कार्य निम्नलिखित है—

(i) चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना

(ii) मतदाता सूची का निर्माण करना, उसमें परिवर्तन एवं संशोधन करना

(iii) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार सीटों का वितरण करना। चुनाव याचिका में सहायता देना तथा

संसद और विधायिका के चुनाव के लिए मतदाता सूची का निर्माण एवं उसका संशोधन करना

(iv) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार चुनाव व्यवहारों की जांच करना तथा चुनाव के बाद विवादों का समाधान करना।

संरचना (Structure) :- मूल भारतीय संविधान में एक सदस्यीय चुनाव आयोग का प्रावधान है परन्तु राजीव गाँधी सरकार ने ~~(1 जनवरी 1990 को)~~ दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। नरसिंह राव सरकार ने 1 Oct. 1993 को चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बनाया जिसको तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन ने न्यायपालिका में चुनौती दी लेकिन न्यायपालिका ने तीन सदस्यीय चुनाव आयोग को वैध माना उन लोगों की शंकाएं निराधार साबित हुयी जिनके अनुसार तीन सदस्यीय आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में कार्य नहीं करेगा क्योंकि 1996, 98, 99 के लोकसभा चुनाव यह सिद्ध करते हैं कि भारत में E.C स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। टी. एन. शेषन के समय से EC अत्यधिक सक्रिय हुआ।

गहराता लोकतंत्र एवं चुनाव आयोग की बढ़ती भूमिका :-

1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व बढ़ने लगा और दलों के द्वारा चुनाव जीतने के लिए पहचानगत राजनीति (Identical Pol.) का प्रयोग किया गया। अतः राजनीति में धर्म, जाति का प्रयोग प्रभावी हुआ। राजनीति में हिंसा और भ्रष्टाचार प्रभावी हो गए। अपराधियों का राजनीतिकरण तथा राजनेताओं का अपराधीकरण हुआ, इस परिप्रेक्ष्य में चुनाव आयोग के द्वारा भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा प्रतिबद्धता से की गयी। चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि चुनाव में कोई भी दुर्व्यवहार के द्वारा चुनाव को प्रभावित न करे। इसके लिए चुनाव आयोग के निम्न प्रयोग अत्यधिक प्रशंसनीय माने जाते हैं।

(i) टी.एन. शेषन ने मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य तथा लागू करने का प्रयत्न किया जिससे चुनाव में धांधली समाप्त हो।

(ii) चुनावों में प्रत्याशियों के द्वारा खर्च की राशि निर्धारित सीमा में होनी चाहिए। वर्तमान समय में बड़े लोकसभा क्षेत्रों के लिए यह राशि 25 लाख है जबकि विधानसभा के लिए राशि 15 लाख रुपये है।

Scanned with CamScanner

(iii) J.M. लिंगदोह ने वर्ष 2002 में गुजरात चुनाव संपन्न कराया तथा इसी वर्ष लिंगदोह ने कश्मीर का चुनाव भी सफलता पूर्वक सम्पन्न कराया।

(iv) गुजरात चुनाव को लेकर अत्यधिक विवाद हुआ। क्योंकि गुजरात सरकार Oct. 2002 से पहले चुनाव कराना चाहती थी जबकि EC ने Nov. 2002 के अन्त में चुनाव कराया।

(v) टी.एन. शेषन के कार्यकाल से चुनाव ~~आयोग~~ आचार संहिता को अत्यधिक सख्ती से लागू किया गया।

(vi) चुनाव आयोग को यह शक्ति है कि ~~कोई~~ यदि कोई दल या व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करें तो पार्टी की मान्यता या पहचान समाप्त की जा सकती है या उसे निलंबित किया जा सकता है।

रुडाल्फ एच रुडाल्फ ने भारतीय EC को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना। CSDS ने 1996 में 11वीं LS चुनाव के पश्चात पूरे देश में एक सर्वेक्षण किया जिसमें आम जनता ने EC को सबसे विश्वसनीय संस्था कहा। अतः इससे स्पष्ट है कि आम जनता के दृष्टिकोण में EC की छवि बहुत बेहतर है। वर्तमान समय में EC

Scanned with CamScanner

की भूमिका में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुयी है क्योंकि प्रथम 58
आम चुनाव में केवल 17.32 करोड़ मतदाता थे जबकि
वर्ष 2004 में मतदाताओं की संख्या बढ़ कर 67.15 करोड़
हो गयी जो अमेरिका जैसे देश की आबादी की दो गुनी है।
इस तथ्य से स्पष्ट है कि EC की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण
है। EC ने चुनाव-आचार संहिता को सख्ती से लागू
किया है। विशेषकर गठबंधन सरकार के युग में यह ज्यादा
चुनौतीपूर्ण हो गया है। वर्ष 2004 में महाराष्ट्र विधान
सभा के चुनाव के पहले सरकार ने किसानों को दिये
गये ऋण पर ब्याज माफ करने की घोषणा की लेकिन
चुनाव आयोग ने इस घोषणा को स्थगित कर दिया।

वर्ष 2004 के लोक सभा चुनाव के पहले BJP
नेता लाल जी टण्डन ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में
साड़ी बाटा और साड़ी लेने की भगदड़ में 22 लोगों की
मृत्यु हो गयी। चुनाव आयोग ने लाल जी टण्डन को
सख्त चेतावनी दी तथा इस व्यवहार को आचार संहिता
का उल्लंघन माना। ठीक इसी प्रकार वर्ष 2004 में होने
वाले विधान बिहार विधान सभा चुनाव से पहले केन्द्रीय
रेल मंत्री लालू यादव ने पैसा बाटा जिसे टी.वी. चैनल
ने रिकार्ड कर लिया। इसमें भी EC ने उन्हें चेतावनी दी।

EC का यह दायित्व है कि वह सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर निगरानी रखे। इस लिए चुनाव में सरकारी मंत्रीयों को सरकारी वाहन उपलब्ध नही कराया जाता। चुनाव आयोग (EC) का यह दायित्व है कि चुनाव तीथि घोषित होने के पश्चात सरकार किसी प्रकार की नीति या कार्यक्रमो की घोषणा न करे। वर्ष 1999 मे मद्रास और आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग द्वारा जनमत सर्वेक्षण पर लगाये गये प्रतिबंध को अवैध माना। इसे बाद में SC ने भी पुष्टि की।

वर्तमान समय में EC के निर्देश के अनुसार सभी प्रत्याशीयो को अपनी आपराधिक, वृत्तीय एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि का हवाला देना पड़ता है। कुल मिलाकर EC का कार्य अत्यधिक प्रशंसनीय और भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। EC की भविष्य में दो मुख्य चुनौतिया है —

(i) राजनीतिक अपराधीकरण को रोकना

(ii) दलो में आन्तरिक लोकतंत्र का निर्माण करना

Scanned with CamScanner